

प्रसव-पश्चात् आधिक रक्तस्राव की रोकथाम के लिए मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियों का समुदाय आधारित वितरण कार्यक्रम

हमारी भूमिका, दायित्व और जवाबदेही का जॉब-एड

आशा की भूमिका और जवाबदेही

1. गाँव की, और बाहर से आई गर्भवती महिलाओं की सूची बनाना।
2. सभी गर्भवती महिलाओं की सूची बनाना, संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना और जो घर पर प्रसव करायेंगी उन को चिन्हित करना।
3. 8 महीने की गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करना और एएनएम द्वारा उनकी एएनसी जाँच कराना। घर पर प्रसव कराने वाली उचित महिलाओं को एएनएम के आदेश पर मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियाँ देना, सुरक्षित प्रसव कार्ड को भरना एवं उसमें दी जानकारी से गोलियों के लेने के बारे में सलाह-मशवरा देना।
4. 8 महीने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को संपर्क कर के पता करना कि एक सप्ताह बाद उनके घर किस समय आकर उनको और उनके परिवारजनों को, जो उसके साथ प्रसव के समय रहेंगे, से कम-से-कम 2 घंटे तक विस्तार से बात करने का समय लेना।
5. एक सप्ताह बाद तय किये हुए समय पर एएनएम के साथ महिलाओं के घर पर संपर्क कर के विस्तार से मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियों की लाभार्थी और उसके परिवार के सदस्यों को सुरक्षित प्रसव कार्ड में दी गयी जानकारी से गोलियों के लेने के बारे में दोबारा सलाह-मशवरा देना। परिवार के सदस्यों और गर्भवती महिला से मिलकर यह पता लगाना कि उनको मीज़ोप्रोस्टॉल उपयोग की, जटिलता के संकेत और उस अवस्था में कहाँ जाना है, की पूरी जानकारी है।

अगर किसी वजह से एएनएम द्वारा यह कार्य नहीं हो सकता है तब आशा इस कार्य को पूरा करेंगी।

6. मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियों के लाभार्थी विवरण रजिस्टर में हर गर्भवती महिला के विवरण को अंकित करना।
7. आशा को गर्भवती महिला की प्रसव की तिथि पास आने पर उसके घर पर एक फॉलो-अप विज़िट करना है और मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियाँ लेने के निर्देश महिला और उसके परिवार जनों के साथ एक बार फिर दोहराना।

8. गाँव भ्रमण पर शिशु जन्म के बाद जिस महिला ने मीज़ोप्रास्टॉल की गोलियाँ नहीं ली हैं, उनसे गोलियों का पैकेट वापस ले कर अपने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना ,यह कार्य प्रथम HBNC भ्रमण के दौरान किया जाना है।
9. गाँव भ्रमण पर लाभार्थी विवरण रजिस्टर का अवलोकन करने के लिए एएनएम को दिखाना और उसके हस्ताक्षर लेना और तिथि डलवाना।
10. रजिस्टर का अवलोकन आशा सहयोगी से करा कर रजिस्टर पर उसका काउन्टर साइन और तिथि डलवाना।
11. घर पर या अस्पताल में प्रसव के दौरान मौजूद रहना। उन स्थितियों में जब आशा महिला को संस्थागत प्रसव के लिए ले जा रही हो, और रास्ते में शिशु जन्म हो जाए तब, या अस्पताल पर प्रसव कराने वाली महिला का किसी कारण घर पर प्रसव हो जाए तब, आशा को या साथ रहने वाली महिला को शिशु जन्म के तुरन्त बाद महिला को मीज़ोप्रोस्टॉल की तीन गोलियाँ पानी से खिला देना।
12. सुनिश्चित करना कि महिला ने मीज़ोप्रोस्टॉल की तीनों गोलियाँ सही समय पर खाई या नहीं।
13. सुनिश्चित करना कि गोलियाँ खाने के बाद कोई परेशानी तो नहीं हुई।
14. परेशानी होने पर उपयुक्त स्वास्थ्य ईकार्ड पर रेफर करना।
15. गोलियों की उचित आपूर्ति मासिक क्लस्टर मीटिंग के दौरान या VHND के लिये गाँव भ्रमण के दौरान, एएनएम से प्राप्त करना और अपने स्टॉक रजिस्टर में चढ़ा कर उससे हस्ताक्षर करवाना।
16. हर समय मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियों के 5 पैकेट आपातकालीन स्थिति के लिए और सुरक्षित प्रसव तैयारी कार्ड, का उपयुक्त स्टॉक रखना।
17. सावधानी बरतने की श्रेणी में आने वाली महिलाओं की अस्पताल पर जाँच और आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्वास्थ्य ईकार्ड पर प्रसव के लिये जाने के लिए प्राप्ति साहित्य करना।
18. मासिक रिपोर्ट को भरना।
19. मासिक रिपोर्ट का अवलोकन और फीडबैक एएनएम और आशा सहयोगी से मासिक क्लस्टर मीटिंग के दौरान करा कर हस्ताक्षर और तिथि डलवाना और VHND अथवा रिपोर्ट की एक प्रति आशा सहयोगी को देना।

एएनएम की भूमिका और जवाबदेही

नोट: प्रसव-पश्चात् अधिक रक्तस्राव (पीपीएच) से बचाव के लिए मीज़ोप्रोस्टॉल के समुदाय आधारित अग्रिम वितरण की मुख्य जिम्मेदारी एएनएम की है।

1. एएनसी और गाँव भ्रमण के दौरान आशा सहयोग से गाँव की, और बाहर से आई सभी गर्भवती महिलाओं की सूची बनाना।
2. जिन महिलाओं ने छठे महीने तक दो एएनसी जाँच नहीं कराई हैं, उन्हें चिन्हित करना और गाँव भ्रमण के दौरान आशा के साथ उन्हें एएनसी जाँच और संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना। जो घर पर प्रसव करायेंगी, उन गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करना।
3. आठ महीने वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करना और आशा के सहयोग से सब सेन्टर या वीएचएनडी दिवस पर उन महिलाओं की एएनसी जाँच कर के यह सुनिश्चित करना कि महिला का स्वास्थ्य सामान्य है और जुडवाँ या आड़ा-तिरछा बच्चा तो नहीं है। यदि कोई भी चिकित्सीय परेशानी या असामान्य गर्भावस्था की स्थिति हो, तो महिला को आगे की जाँच के लिए उसे एफआरयू रेफर करना।
4. क्लस्टर मीटिंग के दौरान या ग्राम भ्रमण के दौरान, आशा सहयोगी की उपस्थिति में आशा को मीज़ोप्रोस्टॉल की 3 गोलियों के पैकेट उपयुक्त संख्या में दिलवाना सुनिश्चित करना और दोनों के स्टॉक रजिस्टर में इसे देने और लेने को अंकित करवाना। आशा के स्टॉक रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर के तिथि लिखना।
5. यह सुनिश्चित करना कि किसी भी समय में आशा के पास मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियों की खुराक इतनी संख्या में है कि घर पर प्रसव कराने वाली सभी महिलाओं के लिए वह पूरी हों और उसके अलावा पाँच अतिरिक्त खुराक अचानक घर पर या रास्ते में होने वाले प्रसवों के लिए हों।
6. यदि महिला की गर्भावस्था की स्थिति सामान्य हो और वह घर पर प्रसव कराना चाहती है, तो गाँव भ्रमण के दौरान, आशा को इस महिला को मीज़ोप्रोस्टॉल की 3 गोलियों का एक पैकेट दिलवाना।
7. यह सुनिश्चित करना कि आशा गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार वालों को मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियाँ खाने के सही और पूरे निर्देश जानती और देती है, नही तो उसकी मदद करना। गाँव भ्रमण के दौरान महिलाओं और उनके परिवार वालों को मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियों को खाने के लिए क्या करें और क्या न करें पर जानकारी देना।

8. जिस महिला को मीज़ोप्रोस्टॉल की गोलियों का पैकेट दिया है, उसे और उसके परिवार के सदस्यों को सुरक्षित प्रसव तैयारी कार्ड का उपयोग कर के गोलियाँ रखने और सही तरह खाने का सलाह-मशवरा देना।
9. आशा से मिल कर यह सुनिश्चित करना, कि लाभार्थियों ने गोली सही समय पर खाई है और उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई।
10. आशा से मिल कर गाँव भ्रमण के दौरान, यह सुनिश्चित करना कि, जिन महिलाओं ने शिशु जन्म के बाद गोलियाँ नहीं खाई हैं, आशा ने उन से तीनों गोलियाँ वापस ले कर अपने स्टॉक रजिस्टर और लाभार्थी विवरण रजिस्टर में लिख लिया है।
11. आशा के लाभार्थी विवरण रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और मासिक रिपोर्ट का अवलोकन हर माह करना और उपयुक्त संख्या में मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियों के पैकेट उसके पास सुनिश्चित कर के उसके रजिस्ट्रों और रिपोर्ट पर हस्ताक्षर और तिथि लिखना।
12. अपने क्षेत्र की आशाओं की सहायता से उनके क्षेत्र में मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियों के दुष्प्रभाव या पीपीएच या किसी और जटिलता के कारण रेफरल की गई महिलाओं का विवरण, जटिलता के कारण रेफरल रिपोर्ट में भरना।

आशा सहयोगी की भूमिका और जवाबदेही

प्रशिक्षण:

1. हर चुने हुए ब्लॉक की आशा साथियों को जिला स्तरीय प्रशिक्षण में भाग लेना और कार्यक्रम के मुख्य चरणों का अभ्यास करना।
2. आशा की सक्रिय भागीदारी के साथ, प्रशिक्षण सामग्री का प्रयोग कर के उन्हें "प्रसव-पश्चात् अधिक रक्तस्राव की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियों के वितरण कार्यक्रम", में उनकी भूमिका और इस कार्य को गाँव के स्तर पर करने की पूरी जानकारी देना। गर्भवती महिला और उसके परिवार के सदस्यों को सलाह-मशवरा के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है और रजिस्टर भरने पर जोर देना।

फॉलो-अप और सपोर्टिव सुपरविज़न:

3. सभी आशा सहयोगी को आशा के एक दिवसीय प्रशिक्षण के बाद उनके गाँव के भ्रमण के दौरान, उनसे मिल कर घर पर प्रसव करानेवाली गर्भवती महिलाओं की सूची का अवलोकन करना।
4. आशा को मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियों की निर्धारित खुराक एएनएम उपलब्ध करवाना एवं उसके स्टॉक रजिस्टर में उनको दर्ज करना सुनिश्चित करना और हस्ताक्षर करना।
5. गाँव भ्रमण के दौरान, आशा को गर्भवती महिला और उसके परिवार वालों को सलाह-मशवरा देते हुए देखना और सुनिश्चित करना कि वह पूरी और सही जानकारी दे रही है। कमी होने पर उसकी मदद करना।
6. हर माह अपने क्षेत्र की आशाओं की मासिक रिपोर्ट का क्लस्टर मीटिंग के दौरान एएनएम के साथ अवलोकन करना और हस्ताक्षर कर के तिथि डालना।
7. क्लस्टर मीटिंग के दौरान एएनएम की उपस्थिति में आशाओं को मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियों के पैकेट की आपूर्ति करना और उसके स्टॉक रजिस्टर में होना सुनिश्चित करना।

ब्लाक ट्रेनिंग टीम (बीटीटी) की भूमिका और दायित्व

प्रशिक्षण:

1. हर चुने हुए ब्लाक के बीटीटी को अपने ब्लाक की टीओटी प्रशिक्षण में भाग लेना और एएनएम और आशा को प्रशिक्षण देने के मुख्य चरणों का अभ्यास करना।
2. जिला स्तरीय ट्रेनर के साथ मिल कर अपने क्षेत्र की एएनएम और आशा का एक दिवसीय प्रशिक्षण कराना।

फॉलो-अप और सपोर्टिव सुपरविज़न:

3. अपने क्षेत्र के सेक्टर मेडिकल ऑफिसर , एल एच व्ही एवं एएनएम के साथ मिल कर फॉलो-अप का नियोजन (प्लैन) करना।
4. आशा सहयोगी एवं एएनएम का गाँव भ्रमण के दौरान, आशा की मदद करते हुए, अवलोकन करना और ज़रूरत पड़ने पर गुणवत्ता वाली सलाह-मशवरा और संबंधित मेन्टरिंग को सुनिश्चित करना।
5. एएनएम ,आशा सहयोगी और आशा को अपने कार्य में सुधार लाने के लिए उपयोगी फीडबैक देना।
6. क्लस्टर मीटिंग के दौरान, एएनएम ,आशा सहयोगी और आशा के रिकार्ड का अवलोकन करना, और यदि उन्हें कोई मुश्किल महसूस हो, तो उसका समाधान करना।
7. ब्लाक के फार्मासिस्ट द्वारा मेडिकल ऑफिसर की उपस्थिति में मीज़ोप्रोस्टॉल गोलियों के पैकेट बनाना और अपने स्टॉक रजिस्टर में उसकी जानकारी भरना और मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट से हस्ताक्षर करा कर तिथि लिखवाना।
8. बिलाक मीटिंग के दौरान एएनएम को मीज़ोप्रोस्टॉल की गोलियों के पैकेट उपयुक्त संख्या में देना और अपने स्टॉक रजिस्टर पर दर्ज करना और एएनएम के स्टॉक रजिस्टर पर दर्ज करवाना सुनिश्चित करना।
9. अपने क्षेत्र की एएनएम की मासिक रिपोर्ट को संकलित कर के ब्लाक की मासिक रिपोर्ट बनाना और डीपीएम एवं इस्टेटमेनेजर को देना।
10. एसटीटी की मासिक मीटिंग के दौरान अपने क्षेत्र की रिपोर्ट का विश्लेषण करना और सम्बन्धित कार्य अपनी एएनएम को बताना और पूरा करने में मदद करना।